न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 149/2007

उनवान

1. चन्द्र स्वरूप पुत्र शिवदयाल
2. प्रेमचन्द पुत्र शिवदयाल
3. अनिल पुत्र स्व0 पन्नासिंह
4. प्रीतमसिंह पुत्र स्व0 पन्नासिंह
5. मनोज पुत्र स्व0 पन्नासिह

उपरोक्त सभी जाति माली निवासीगण 277/34 पालबीचला अजमेर तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहीलदार अजमेर
2. ललीत चौहान
3. भूप्रेन्द्र चौहान
4. कमलेश चौहान

उपरोक्त सभी पुत्रगण स्व0 इन्द्रसिह पोत्र स्व0 जंवरीलाल जाति माली निवासी 205/34 पालबीचला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 03.1.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अजमेर थोक तेलियान तहसील व जिला अजमेर में स्थित आराजी खाता खेवट संख्या 3 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा बिस्वा 10 बिस्वांसी के खवेटदार संयुक्त रूप से जवरीलाल व शिवदयाल पुत्रगण नाथूमाली बहिस्सा बराबर बराबर रहे है जोकि खेवट 1349 फसली प्रमाणित

Scanned by CamScanner

राजस्व अभिलेख एवं जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2016 से 2019 के खेवट जमाबंदी सं0 1 खतौनी संख्या 150 के खसरा नम्बर 3869, 3871, 3872, 3873/1, 3873/2 कुल मिता 4 का कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वान्सी जिसमें से 4 बीघा 15 बिस्वा बारानी 3 तथा 18 बिस्वा 10 बिस्वान्सी गैरमुमकिन चाह व आवादी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2020 से 2023 के कॉलम नं0 पॉच में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश पारित किये व बिना किसी न्यायालय के निर्णय डिक्री के राजस्व कर्मचारी, पटवारी द्वारा जवरीलाल व शिवदयाल पिसरान नाथू बहिस्सा बराबर–बराबर खसरानम्बर 3871, 3872, 3873/1 इन तीनो खसरा का कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अंकन कर दिया तथा शेष खसरा नम्बर 3869 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वान्सी व खसरा नम्बर 3873/1 दुबारा अंकन करते हुए रकबा 16 बिस्वा बारानी 3 अकेले जवरीलाल वल्द नाथूराम माली के नाम खुदकाश्त के रूप में त्रुंटि से दर्ज कर दिया है जब कि उक्त वर्णित समस्त आराजी के समस्त खसरा नम्बरान का कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वान्सी को जवंरीलाल व शिवदयाल पुत्र नाथू कौम माली के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किया जाना चाहिये था और जवरीलाल व शिवदयाल की मृत्यु के बाद उनके वारिसान कायम मुकाम के नाम अंकन दर्ज किया जाना चाहिये था जिसके विपरित उपरौक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज से अकेले जवरीलाल के नाम खसरा नम्बर 3869 का रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वान्सी एवं खसरा नम्बर 3873/2 का रकबा 16 बिस्वा का अंकन कर दिया जिसे दुरूस्त किये जाने एवं उपरोक्त अनुसार समस्त वर्णित आराजी के समस्त खसरा नंम्बरान के समस्त रकबे पर राजस्व अभिलेख में जवरीलाल व शिवदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर अंकन किया जाना चाहिये और इन दोनो की मृत्यु हो जाने के उपरांत इनके वारिसान जिसमें जंवरीलाल के वारिसान इन्दरसिंह पुत्र तथा इसकी भी मृत्यु हो जाने से ललित, भूपेन्द्र, कमलेश तथा पुत्री भावना का अंकन समस्त खाते पर किया जाना चाहिये तथा शिवदयाल की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र चन्द्रस्वरूप, प्रेमचन्द्र, रमेशचन्द तथा स्व0 पन्ना सिह के वारिसान अनिल, प्रीतमसिंह, मनोज, प्रीति व निशू तथा शिवदयालजी की पुत्रीयॉ शारदा , विमला, शकुन्तला, राजकुमारी आदि के नाम फोती विरासत के रूप में उपरोक्त मृतक के कायम मुकाम होने से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दर्ज किया जाना चाहिये था जो नही किया गया है। उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त अनुसार सही इन्द्राज का अंकन किये जाने हेतु कई बार सम्बन्धित अधिनस्थ अधिकारी तहसीलदार अजमेर व हल्का पटवारी को लिखकर निवेदन किया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही की है। विधि के बाध्यकारी प्रावधानो व नजीरो में प्रतिपाद्वित सिद्वातों के अनुसार माननीय न्यायालय त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिए पूर्णतया सक्षम होकर अधिकारिता प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी अजमेर थोक तेलियान के खसरा नम्बर 3869 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वान्सी एवं 3873/2 का रकबा 16 बिस्वा बारानी 3 में जंवरीलाल का 1/2 हिस्सा व स्व0 शिवदयाजी का 1/2 हिस्सा दर्ज करते हुए स्व0 शिवदयाल जी के वारिसान प्रार्थीगण का नाम कायम मुकाम वारिसान के रूप में उक्त आराजी में अंकन किये जाने के समुचित आदेश अप्रार्थी को प्रदान कर अनुग्रहित करे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उनके अधिवक्ता ने निवेदन किया गया कि विवादित भूमि के वर्तमान अभिलेख को धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधनों के तहत प्रशनगत नही किया जात सकता है जंवरीलाल के जो हक अधिकार राजस्व अभिलेख में संवत 2020–2023 की जमांबदी में वर्णित थे उसी के अनुसरण में वे काबिज रहे जो आवेदनकर्ता की जानकारी में है वर्तमान आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व में इस बाबत आवेदन किया गया था तथा जिसके अनुसरण में नामान्तकरण संख्या 78 तहसीलदार द्वारा दिनांक 9.4.86 को निरस्त किया गया था जिसकी कोई अपील आदि नही की गई उक्त आदेश अपनी अंतिमता ग्रहण कर चुका है जिसे 25 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करवाने हेतु पूर्व में नामान्तकरण बाबत आवेदनकिया गया जो नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 9.4.86 को निरस्त कर दिया गया इसके उपरांत वर्तमान आवेदनकर्ताओ द्वारा एक दीवानी वाद संख्या 225/2003 सिविल न्यायाधीश (क.ख) उत्तर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो निर्णय व डिक्री दिनांक 24.8.2005 के द्वारा निरस्त किया गया जिसमें भूमि पर भोतिक धारण भी जवंरीलाल के वारिसान का माना गया तथा वर्तमान जवाब प्रस्तुतकर्ता जंवरीलाल के पुत्र इन्द्रसिंह के पुत्र है तथा उक्त वाद में

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

धारित निष्कर्ष के यथावत रहते वर्तमान आवेदनकर्ता किसी प्रकार का अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। स्वयं आवेदनकर्ता ने पूर्व में इसी न्यायालय में एक प्रकरण दायर किया थ जो राजस्व वाद संख्या 24/2004 प्रेमचन्द बनाम ललित था जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3.5.2007 को किया गया ताकि उक्त वाद को खारीज किया गया इस प्रकार राजस्व अभिलेख वर्तमान में है वह सदैव से वर्तमान आवेदनकर्ताओं की जानकारी में है तथा समय समय पर अलग–अलग न्यायालय में वर्तमान आवेदनकर्ता तरह–तरह की मुकदमेबाजी कर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को परेशान करते रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानो के अनुसरण में राजस्व अभिलेख में दोनो पक्षों की सहमति होने पर ही किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है इसके अलावा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई प्रावधान नही है तथा वर्तमान आवेदनकर्तागण का विवादित भूमि के भौतिक धारण व स्वामित्व से कोई सबंध नही है। अतः प्रार्थना पत्र सधारण योग्य नही होने से निरस्त किये जाने आ आदेश प्रदान करावे ।

राजकीय पेरोकार ने दौराने बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का वाद पत्र सिविल न्यायालय एवं न्यायालय हाजा से निरस्त हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही आने से निरस्त किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 9.4.86 तहसीलदार अजमेर द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसी प्रकार सिवित वाद संख्या 225/2003 सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) उत्तर अजमेर द्वारा भी निर्णय व डिक्री दिनांक 24.8.2005 से प्रार्थीगण का वाद पत्र निरस्त किया जा चुका है। जिसके विरूद्व प्रथम अपील 125/2009 भी प्रार्थीगण द्वारा विड्रो की जा चुकी है। तथा पत्रावली में यह भी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के सबंध में वाद 24/2004 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे भी न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.5.2007 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त वर्णित आदेश एवं निणयों के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई चाराजोही की जाकर निरस्त होने सबधी कोई

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किए है। साथ ही पत्रावली पर तहसीलदार अजमेर द्वारा जवाब व मौका रिपोर्ट दिनांक 5.5.2010 में भी प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर किसी प्रकार से कोई कब्जा होना भी प्रमाणित नही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही होने से प्रार्थना पत्र सारहीन भारहीन हाने से निरस्त योग्य है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2020.01.09 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: